तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री टीकम चन्द बोहरा, सदस्य

उपस्थित–
श्री नरेश कुमार जैन, अभिभाषक प्रार्थी

दिनांक : 13–03–2026

आदेश

यह निगरानी न्यायालय संभागीय आयुक्त द्वारा प्रकरण संख्या 237 / 2012 में पारित निर्णय दिनांक 23–05–2016 के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 84 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा बहस में कथन किया गया कि वादपत्र में वर्णित आराजीयात बाबत् न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़ जिला जयपुर ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10–08–2010 के अनुसार निगरानीकर्ता को उक्त वादग्रस्त आराजीयात में हिस्सा 1 / 2 दर हिस्सा 1 / 3 का खातेदार काश्तकार माना जिसकी पालना में तहसीलदार जमवारामगढ़ ने निगरानीकर्ता के पक्ष में निर्णय दिनांक 26–04–2011 द्वारा नामान्तरण संख्या 568 खोला जिसके खिलाफ रेस्पोन्डेंट संख्या 1 ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम के समक्ष प्रस्तुत की जहाँ पर नामान्तरण संख्या 568 को निर्णय दिनांक 25–04–2011 के आधार पर यह फाईन्डिंग देते हुए निरस्त कर दिया कि नामान्तकरण के कॉलम संख्या 16 में पटवारी हल्का द्वारा जो टिप्पणी अंकित कि है उससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि जिस प्रारम्भिक डिक्री के आधार पर नामान्तरण भरा गया है वह किस न्यायालय से जारी की गयी है, इस प्रकार प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार के समक्ष रीमांड कर दिया परिणामस्वरुप निगरानीकर्ता के पक्ष में खोला गया

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नामांन्तकरण निरस्त हो गया जिसके खिलाफ अपीलांट ने अपील संख्या 237 / 2012 अधीनस्थ न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की जो कि दिनांक 23–05–2016 को खारिज कर दी गई जिससे व्यथित होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। उनका मुख्य रूप से तर्क है कि मिन निगरानीकर्ता ने अधिनस्थ न्यायालयों के समक्ष न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ, जयपुर द्वारा पारित डिक्री व निर्णय दिनांक 10–08–2010 के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत अपील की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की थी जो कि अधिनस्थ न्यायालय के रिकॉर्ड पर थी फिर भी प्रथम अधीनस्थ न्यायालय ने यह त्रुटि कारित की है कि उनके समक्ष प्रारम्भिक डिक्री की कोई प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है। मिन निगरानीकर्ता का कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील के साथ डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की थी क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील रेस्पोडेण्ट संख्या 01 ने प्रस्तुत की थी लेकिन रेस्पोडेण्ट संख्या 01 ने कोई डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को इसी बिन्दु पर उसकी अपील को खारिज कर देना चाहिए था न कि अपील स्वीकार कर रिमाण्ड की जानी चाहिए थी। इस प्रकार कानून के इस बिन्दू पर कोई ध्यान नहीं देकर निगरानी–अधीन निर्णय अपास्त किये जाने लायक है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेण्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत अपील के मेमोरेण्डम एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 01 द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत अपील के मेमोरेण्डम को पढ़ने से साफ जाहिर होता	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	था कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ, जयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10–08–2010 की पालना में तहसीलदार जमवारामगढ के आदेश दिनांक 25–04–2011 द्वारा अपीलाण्ट के हक में पंजीबद्ध नामान्तरण संख्या 568 खोला गया एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ, जयपुर जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10–08–2010 आज दिनांक तक प्रभावी आदेश है। उनका तर्क यह भी है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निगरानीकर्ता द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर के यहां विचाराधीन अपील की प्रमाणित प्रति में रेस्पोडेण्ट संख्या 01 द्वारा वर्णित मियाद के कथनों एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई अपील में वर्णित मियाद के कथनों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था जिनसे साफ जाहिर होता था कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर प्रथम जयपुर के समक्ष अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद के बिन्दु पर बिना कोई निर्णय पारित किये ही निगरानीधीन आदेश पारित करने में त्रुटि कारित कर दी जिससे कि निगरानी–अधीन आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। अंत में हस्तगत निगरानी स्वीकार की जाकर प्रथम अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25–01–2012 एवं द्वितीय अधीनस्थ न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23–05–2016 को अपास्त किया जावे एवं तहसीलदार, जमवारामगढ़ द्वारा खोले गए नामांतरण सं,या 568 को बहाल किए जाने के आदेश पारित किए जावे। अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रथम जयपुर जिला जयपुर ने अपने आदेश दिनांक 25–01–2012 में अंकित किया है कि जिस प्रारंभिक डिक्री के आधार पर नामांतरण संख्या 568 भरा गया है, वह किस न्यायालय से जारी की गई है और क्या आदेश दिए गए हैं ? विपक्षी जिसके पक्ष में 1/6 हिस्से का इन्द्राज किया गया है वह खातेदार काना पुत्र प्रभात जिसका कि विवादग्रस्त भूमि में 1/3 हिस्सा दर्ज था, के हिस्से में से कम करते हुए भरा जाकर स्वीकार किया गया है, काना पुत्र प्रभात जीवित है और हनुमान कानाराम का दत्तक पुत्र है। तहसीलदार, जमवारामगढ द्वारा रिपोर्ट पटवारी व जांच आई.एल.आर. के आधार पर आदेश पारित किया जो विधिसम्मत नहीं है। अप्रार्थी/रेस्पो0 कानाराम की ओर से जिस न्यायालय से प्राथमिक डिक्री जारी की गई, उसकी कोई प्रति प्रस्तुत नहीं की है और न ही न्यायालय के किसी निर्णय की प्रति अपने तथ्यों के समर्थन में प्रस्तुत की गई। फलस्वरूप नामांतरण पर पारित आदेश को स्थिर रखा जाना उचित नहीं है जिससे कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रथम जयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 25–01–2012 को अपील अपीलांट स्वीकार की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, जमवरामगढ द्वारा नामांतरण संख्या 568 पर पारित निर्णय दिनांक 25–04–2011 को निरस्त किया गया तथा प्रकरण तहसीलदार, जमरामगढ़ को रिमाण्ड कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा भी आक्षेपित आदेश दिनांक 23–05–2016 को अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रथम जयपुर द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए अपील अपीलांट को खारिज कर दिया जिसमें कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। उक्त तथ्यों के आधार पर हस्तगत निगरानी खारिज किए	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जाने योग्य है। अतः हस्तगत निगरानी खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–05–2016 के निर्णय की पुष्टि की जाती है। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। **(टीकम चन्द बोहरा)** **सदस्य**	